

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
सोमवार, 14 सितम्बर, 1998 / भाद्रपद 23, 1920 शक

संख्या : 422

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जिला
दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 10.09.1998 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको सतम्मान सूचित करना है कि श्री ब्रह्म पाल विधायक
सदस्य, दिल्ली विधान सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा
स्थानीय पुलिस की सहायता से वसुन्धरा इन्क्लेव में विध्वंस कार्यक्रम
डेमोलिशन प्रोग्राम के दौरान स्थानीय पुलिस द्वारा दिये गये विधि-
सम्मत निर्देशों का पालन न करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम की
धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 2.9.98 को अपराहन 4.26 बजे नज़रबंद
किया गया और उन्हें 2.9.1998 को ही अपराहन 5.05 बजे रिहा
कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday, September 14, 1998/ Bhadrapad 23, 1920 (Saka)

No.422

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker,
Delhi Vidhan Sabha was received from Deputy Commissioner of Police,
East District, Delhi on 10.09.1998 :-

" I have the honour to inform you that
Shri Brahm Pal, MLA was detained u/s 65 of Delhi
Police Act on 02.09.98 at 4.26 P.M. for failing
to comply with the reasonable direction given by
local police during the demolition programme
fixed by DDA authorities with the assistance
of local Police at Vasundhara Enclave and was
subsequently released on 02.09.98 at 5.05 P.M."

P.N. GUPTA
SECRETARY